(3)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 99/2024 दायर दिनांकः 16.08.2024

उनवान

1. मानसिंह पुत्र कालूराम जाति दांगी नि. सिलोरी तहसील पिड़ावा

---वादी

बनाम

1. किशनलाल पुत्र नारान जाति दांगी नि. सिलोरी तहसील पिडावा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पिडावा

---प्रतिवादीगण

दावा धारा 183, 188, 209 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति विद्वान अभिभाषक :–

अभिभाषक वादी :– श्री सुभाष दांगी
प्रतिवादी सं. 1 :– एकतरफा
प्रतिवादी सं. 2 – पेशेकार सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

निर्णय

दिनांक : २५|11|.2025

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि नकल जमाबन्दी संम्वत 2073–2076 ग्राम सिलोरी तहसील पिड़ावा की खाता सं. 38 के खसरा न. 365 रकबा 0.2782 हैक्टेयर व खसरा न 470/374 रकबा 0.0885 हैक्टेयर कुल 2 किता कुल रकबा 0.3667 हैक्टेयर भूमि वादी की खातेदारी कब्जे काश्त की है, जिसमे से खसरा न. 470/374 रकबा 0.0885 हैक्टेयर का विवाद है, जिसे बाद में विवादीत आराजी से सम्बोधित किया गया है। नकल जमाबन्दी संलग्न है। यह कि ग्राम सिलोरी तहसील पिड़ावा की खाता सं. 38 में आराजी खसरा न. 470/374 रकबा 0.0885 हैक्टेयर वादी की पुश्तेनी खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि है, जो गांव के पास ... पास लगी हुई है। वादी की उक्त भूमि खसरा न. 470/374 के दक्षिण-...म में प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:35:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

अधिकारी का भारी नुकसान होगा, पांचो पग पांच परा करना व्यथ हा जावगा। प्रतिवादी न. 1 को जबरन अतिक्रमण करने से मना करने पर जान से मारने लड़ाई झगड़े पर उतारू हो रहे

Scanned with OKEN Scanner

की भूमि खसरा न. 511/349 लगी होने का प्रतिवादी अवैध फायदा उठाकर ताकत व लठ के बल पर वादी की खातेदारी भूमि खसरा न. 470/374 रकबा 0.0885 हैक्टेयर पर जबरन अतिक्रमण करने ताकत के बल पर तारखम्मे लगानें वादीगण की खातेदारी को चुनोती देने की अवैध कोशिश में होकर भूमि हडपने पर उतारू हो रहा है, जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है. इस कारण प्रतिवादी न. 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना अत्यन्त ही आवश्यक हो गया है। यह कि प्रतिवादी द्वारा वादी की भूमि की घांस फसल को नष्ट करने, जबरन ताकत के बल पर कब्जा करने को उतारू हो रहे है, जिससे वादी के वैधानिक हक व अधिकारो को भारी अपरिमित क्षति होने की पूरी संभावना हो गई है, इस कारण प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से रोका जाना जरूरी है। यह कि प्रतिवादी न. 1 अपने अवैधानिक कृत्यों में सफल हो गया तो वादी के वैधानिक हक व अधिकारो को भारी नुकसान होगा, बादी का वाद पेश करना व्यर्थ हो जावेगा। प्रतिवादी न. 1 को जबरन अतिक्रमण करने से मना करने पर जान से मारने, लडाई झगड़े पर उतारू हो रहे है। इस कारण न्यायहीत में प्रतिवादी को वादी की खातेदारी भूमि परं जबरन अतिक्रमण नहीं करने किसी भी प्रकार से प्रवेश नही करने से जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से रोका जाना न्यायहित मे जरूरी हो गया है। यह कि प्रतिवादी द्वारा वादी की खातेदारी कब्जे की भूमि ने जबरन तार खम्ने लगाने से मना करने पर गाली गलोच कर मारने पर उतारू होने व वादी की भूमि को जबरन हडपने कब्जा करने की धमकीया देने से वाद कारण दिनांक 18.07.2024 को उत्पन्न होकर दावा पेश करना पड़ रहा है। यह कि राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पिडावा को लेण्ड होल्डर होने व मौके पर वादी के खसरा नं. 470/374 की सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी से करवाने व दौराने वाद प्रतिवादी द्वारा जबरन कब्जा करने प्रतिवादी के कब्जे में पाई जाने वाली भूमि से प्रतिवादी को बेदखल कर मौके पर कब्जा वादी [illegible] ने हेतु पक्षकार बनाया गया है। यह कि वादी की भूमि के पास ही प्रति[illegible] की भूमि लगी होने से झगड़े होते है, इसलिए वादी की भूमि का [illegible] अधिकारी की टीम

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:35:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

(5)

द्वारा मौके पर सीमाज्ञान पत्थरगडी भी कराया जाना जरूरी है। यह कि वाद माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार क्षेत्राधिकार में उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य पेश है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाये की प्रतिवादी न. 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाये कि यह वादी की खातेदारी भूमि खसरा न. 470/374 रकबा 0.0885 हैक्टेयर याके सिलोरी तहसील पिड़ावा के किसी भी भाग में प्रवेश नहीं करे, जबरन बेजा दखलन्दाजी नहीं करें वादी की भूमि ने तार खम्भे लगाकर अतिक्रमण कब्जा नहीं करें। वादी की खातेदारी भूमि खसरा न. 470/374 रकबा 0.0885 हैक्टेयर का सक्षम अधिकारी की टीम द्वारा मौके पर पत्थरगढी से सीमाज्ञान करवाया जाकर यदि प्रतिवादी न. 1 द्वारा जबरन अतिक्रमण कर तार खम्बे कब्जा करले तो प्रतिवादी न. 1 को बेदखल कर कब्जा मौके पर वादी को प्रतिवादी न. 2 द्वारा संभलाया जावें। अन्य न्यायोचित सहायता व हर्जा खर्चा मुकदमा जो भी माननीय न्यायालय उचित समझे यह भी वादी को प्रतिवादी न. 1 से दिलाने की कृपा करें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहा जिससे मुताबिक आदेशिका दिनांक 25.11.2024 के अनुसार उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई एवं प्रतिवादी सं. 2 द्वारा पर्याप्त अवसर देने के बावजूद जवाब पेश नहीं किया जिससे मुताबिक आदेशिका दिनांक 12.02.2025 के अनुसार प्रतिवादी सं. 2 का जवाब अवसर बंद किया गया।

3. वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम सिलोरी के खाता सं. 38 की जमाबंदी सं. 2073-76 प्रदर्श 1, खसरा नक्शा दिनांक 12.07.2024 प्रदर्श 2 पेश की एवं मौखिक साक्ष्य में मानसिंह पि. कालूराम, कालूराम पि. मांगीलाल, मनोहरलाल पि. मांगीलाल, [illegible] पि. भेरूलाल PW-1 to 4 के शपथपत्र/बयान कराये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:35:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

4. अभिभाषक वादी एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। अभिभाषक वादी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम सिलोरी तहसील पिडावा के खाता संख्या 38 का खसरा नम्बर 470/374 रकबा 0.0885 हैक्टेयर भूमि का वादी तन्हा खातेदार दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि के दक्षिण पश्चिम में प्रतिवादी की भूमि ख.नं. 511/349 लगी होने से प्रतिवादी सं. 1 ताकत के बल पर अवैध कब्जा कर तार खम्बे लगाकर वादी की भूमि हडपना चाह रहा है। जब वादी ने प्रतिवादी को कब्जा करने एवं तार खम्बे लगाने से मना किया तो वह लडाई झगडे करने पर आमादा हुआ। अतः प्रतिवादी सं. 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है। अभिभाषक वादी द्वारा आगे तर्क किया गया कि प्रतिवादी सं. 1 का बावजूद सूचना न्यायालय में अनुपस्थित रहना इस तथ्य को साबित करता है कि प्रतिवादी सं. 1 अतिक्रमी है और उनके पास न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु कोई साक्ष्य नहीं है। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि प्रतिवादी सं. 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाकर दौराने वाद यदि वादी की भूमि पर अवैध कब्जा कर तार खम्बे लगा ले तो प्रतिवादी सं. 1 को बेदखल कर वादी को वापिस कब्जा दिलाया जावे और प्रतिवादी सं. 2 को वादग्रस्त आराजी का वादी को कब्जा सौपने के लिए निर्देशित किया जावे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

5. पेरोकार सरकार तहसीलदार पिडावा द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि नियमानुसार वादी का अनुतोष दिया जावे तो पेरोकार सरकार को कोई आपत्ति नहीं है।

6. अभिभाषक वादी एवं परोकार सरकार की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम सिलोरी तहसील पिडावा के खाता संख्या 38 प्रदर्श–1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 470/374 रकबा 0.0885 हैक्टेयर भूमि में वादी रि[illegible]तेदार कृषक है। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा बावजूद सूचना न्यायालय में अनुपस्थित रहने से भी प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि प्रतिवा[illegible] 1 [illegible]पने पक्ष में कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:35:51 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

जवाब/साक्ष्य/दस्तावेज पेश नहीं करना था जिससे प्रतिवादी सं. 1 का वादग्रस्त आराजी में वादी की भूमि पर दखल करना जाहिर होता है।

7. वादीगण द्वारा अपने समर्थन में पेश गवाह PW-2 कालूराम पि. मांगीलाल द्वारा सशपथ बयानो में कथन किया गया है कि ग्राम सिलोरी तहसील पिड़ावा की खाता सं. 38 में खसरा न. 470/374 रकबा 0.0885 हैक्टेयर भूमि वादी की कब्जे काश्त की पुश्तेनी खातेदारी की भूमि है, जो गांव के पास व रास्ते के पास लगी हुई है। वादी की उक्त भूमि के दक्षिण–पश्चिम में प्रतिवादी की भूमि खसरा न. 511/349 लगी होने का प्रतिवादी 1 अवैध फायदा उठाकर ताकत व लठ के बल पर वादी की खातेदारी भूमि पर जबरन अतिक्रमण कर ताकत के बल पर तारखम्भे लगा दिये और लडाई झगडा कर वादी की खातेदारी को चुनोती देकर भूमि हडपने पर उतारू हो रहा है, जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है, इस कारण प्रतिवादी न. 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाकर प्रतिवादी द्वारा वादी की भूमि की घांस फसल को नष्ट करने, जबरन ताकत के बल पर कब्जा करने से रोका जावे प्रतिवादी के कृत्य से वादी के वैधानिक हक व अधिकारो को भारी अपरिमित क्षति होने की पूरी संभावना हो गई है, इस कारण प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से रोका जाना जरूरी है। प्रतिवादी न. 1 को जबरन अतिक्रमण करने से मना करने पर जान से मारने लडाई झगड़े पर उतारू है। इस कारण दावा वादी स्वीकार किया जाकर डिकी किया जावे की प्रतिवादी न. 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वादी की खातेदारी भूमि खसरा न. 470/374 रकबा 0.0885 हैक्टेयर के किसी भी भाग में प्रवेश नहीं करे, जबरन बेजा दखलन्दाजी नहीं करें और तार खम्भे लगाकर अतिक्रमण कब्जा नहीं करें। प्रतिवादी न. 1 द्वारा वादी की भूमि मे जबरन अतिक्रमण कर तार खम्भे कर लिए है जिस पर से प्रतिवादी न. 1 को बेदखल कर कब्जा मौके पर वादी को प्रतिवादी न. 2 द्वारा संभलाया जावें। इसी प्रकार के बयान गवाह PW-3 मनोहरलाल पि. मांगीलाल, PW-4 रामनारायण पि. भेरूलाल द्वारा किये गये। वादी PW-1

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:35:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

मानसिंह पि. कालूराम ने भी अपने सशपथ बयान में उक्त कथनों को दोहराया है।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह तथ्य निर्विवादित है कि वादी वादग्रस्त आराजी का रिकार्डेड खातेदार कृषक है। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा वादग्रस्त भूमि के वादी की भूमि पर कब्जे की कानूनी वैधता (lawful authority) संबंध में कोई भी साक्ष्य पेश नहीं किया है। अतः प्रतिवादी सं. 1 वादग्रस्त आराजी में वादी की भूमि पर अतिक्रमी साबित है और अतिक्रमी होने से बेदखल किये जाने योग्य है। वादी के अनुसार वाद का कारण हेतुक अगस्त 2024 को उत्पन्न हुआ है अर्थात प्रतिवादी सं. 1 द्वारा अगस्त 2024 से वादग्रस्त भूमि पर अवैध कब्जा कर तार खम्बे लगाये है। यहां धारा 183 आर. टी.एक्ट का प्रावधानो का अवलोकन करना उचित होगा–

183. Ejectment of certain trespasser— (1) Not withstanding anything to the contrary in any provision of this Act, a trespasser who has taken or retained possession of any land without lawful authority shall be liable to ejectment, subject to the provision contained in sub-section (2), on the suit of the person or persons entitled to eject him and shall be further liable to pay as penalty for each agricultural year during the whole or any part whereof he has been in such possession, a sum which may extend to fifteen times the annual rent.

9. उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह तथ्य निर्विवादित है कि वादी वादग्रस्त आराजी का रिकार्डेड खातेदार टीनेन्ट है और कब्जा काश्तरत है जिस पर प्रतिवादी सं. 1 ने बलपूर्वक अवैध रूप से (without lawful authority) कब्जा करना चाह रहे है। अतः प्रतिवादी सं. 1 अतिक्रमी है। प्रतिवादी के जबरन कब्जा करने के प्रयास से वादी को क्षति होना साबित है जिसकी क्षतिपूर्ति अपूरनीय होना संभावित है। प्रतिवादी वादी के खाते व

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:35:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

कब्जे की आराजी में जबरन कब्जा करने से स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबंद नहीं किये जाने पर **पक्षकारो के मध्य लडाई झगडा एवं वाद बहुलता भी बढेगी।** प्रतिवादी सं. 1 के बावजूद सूचना न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से यह तथ्य जाहिर होता है कि प्रतिवादी सं. 1 अतिक्रमी है और उनके पास न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु कोई साक्ष्य/जवाब नहीं और वादग्रस्त आराजी से बेदखल किया जाकर दखल नहीं देने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंन्द किये जाने योग्य है। यहां धारा 188 आर.टी.एक्ट का प्रावधानो का अवलोकन करना उचित होगा—

188. Injunction against wrongful ejectment—

(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.

(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion; (b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief; (c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion, (d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ सत्यमेव जयते

10. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण एवं साक्ष्य के आधार पर ग्राम सिलोरी तहसील पिडावा के खाता संख्या 38 का खसरा नम्बर 470/374 रकबा 0.0885 हैक्टेयर के संबंध में वादी का वाद धारा 183, 188, 209 आर.टी.एक्ट स्वीकार करने योग्य है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:35:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

(10)

—::क्रियात्मक आदेश::—

11. परिणामस्वरूप ग्राम सिलोरी तहसील पिडावा के खाता संख्या 38 का खसरा नम्बर 470/374 रकबा 0.0885 हैक्टेयर के संबंध में वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी सं. 2 तहसीलदार पिडावा को आदेशित किया जाता है कि वादी की ग्राम सिलोरी तहसील पिडावा के खाता संख्या 38 का खसरा नम्बर 470/374 रकबा 0.0885 हैक्टेयर में से प्रतिवादी सं. 1 को बेदखल कर वादीगण को शीघ्र कब्जा सौपा जावे। प्रतिवादी सं. 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंन्द किया जाता है कि वे वादी की भूमि पर जबरन कब्जा नहीं करें।

यह निर्णय आज दिनांक 24/11/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा,आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड़ राज0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:35:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज0)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 99/2024 दायर दिनांकः 16.08.2024

उनवान

1. मानसिंह पुत्र कालूराम जाति दांगी नि. सिलोरी तहसील पिड़ावा

———वादी

बनाम

3. किशनलाल पुत्र नारान जाति दांगी नि. सिलोरी तहसील पिडावा
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पिडावा

———प्रतिवादीगण

दावा धारा 183, 188, 209 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति विद्वान अभिभाषक :—

अभिभाषक वादी :— श्री सुभाष दांगी
प्रतिवादी सं. 1 :— एकतरफा
प्रतिवादी सं. 2 — पेरोकार सरकार

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई .....x..... रूबरू.....x.....मिनजानित मुदई रूबरू .....x.....

ग्राम सिलोरी तहसील पिडावा के खाता संख्या 38 का खसरा नम्बर 470/374 रकबा 0.0885 हैक्टेयर के संबंध में वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी सं. 2 तहसीलदार पिडावा को आदेशित किया जाता है कि वादी की ग्राम सिलोरी तहसील पिडावा के खाता संख्या 38 का खसरा नम्बर 470/374 रकबा 0.0885 हैक्टेयर में से प्रतिवादी सं. 1 को बेदखल कर वादीगण को शीघ्र कब्जा सौपा जावे। प्रतिवादी सं. 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंन्द किया जाता है कि वे वादी की भूमि पर जबरन कब्जा नहीं करें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:35:51 IST
Reason: SelfAttested

9/11/25

(दिनेश कुमार मीणा,आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....
X.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X.....अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 25/11/ .2025 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:35:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner